स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 340 , दिनांकः 20–11–2024

कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से बैकों एवं हाउसिंग लोन कम्पनियों से लोन स्वीकृत कराकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के 04 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 20–11–2024 को एसटीएफ उ0प्र0 को कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से बैकों एवं हाउसिंग लोन कम्पनियों से लोन स्वीकृत कराकर करोड़ों की ठगी करने वाले संगठित गिरोह के 04 सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–</u>

1– मो0 आरिफ पुत्र मो0 उमर निवासी निवासी वरावन कला माल रोड, पास दुबग्गा लखनऊ।
2– मो0 वाशिल पुत्र मो0 आरिफ निवासी जूते वाली गली अमीनाबाद लखनऊ। हाल पता– आशियाना अपार्टमेन्ट माडल हाउस अमीनाबाद लखनऊ।
3– शिव प्रताप सिंह पुत्र स्व0 सूरजवली सिंह निवासी ग्रा0 सिरकोहिया पो0 महमूदाबाद जिला सीतापुर उ0प्र0।
4– अर्पित श्रीवास्तव पुत्र स्व0 विनोद कुमार श्रीवास्तव निवासी कनकसिटी सरीपुरा आलमनगर लखनऊ।

<u>बरामदगीः–</u>

1– 13 अदद मोबाईल फोन।
2– 04 अदद कूटरचित आधार कार्ड।
3– 01 अदद कूटरचित पैन कार्ड।
4– 15 विभिन्न बैकों के एटीएम कार्ड।
5– 05 विभिन्न बैकों की पास बुक।
6– 04 विभिन्न बैकों की चेक बुक।
7– 02 बुलेट मोटर साइकिल (यूपी 32 पीएम 0727, यूपी 32 पीए 4282)
8– 01 अदद वैगनआर कार नं0 यूपी 32 ईक्यू 4330

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक, समयः–</u>

पिकप भवन तिराहे से मधुरिमा की तरफ जाने वाले मार्ग पर, थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ। दिनांक 19–11–2024 समय 22.35 बजे

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश लखनऊ को विगत काफी दिनों से जनपद लखनऊ में बैकों एवं हाउसिंग लोन कम्पनियों से कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से लोन स्वीकृत कराकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के बारे में सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में ठीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में निरीक्षक आदित्य कुमार सिंह, उपनिरीक्षक मनोज कुमार, मु0आ0 विनोद सिंह, गौरव सिंह, प्रशान्त कुमार सिंह, रणधीर सिंह, अखिलेश कुमार, शेरबहादुर, कृष्ण कुमार त्रिपाठी की टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद लखनऊ में भ्रमणशील थी। इस दौरान विश्वनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि फर्जी लोन कराने वाले गिरोह के कुछ सदस्य पिकप भवन के पास मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग ठगी करने के उद्देश्य से प्रापर्टी का कूटरचित अभिलेख, कूटरचित पैन व आधार कार्ड के आधार पर अलग–अलग व्यक्तियों की फोटो बदलकर, फर्जी लोगों को खडाकर बैंक आफ महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यूको बैंक आदि अन्य बैंकों में खाता खुलवाते है तथा फर्जी विक्रेता खडाकर जमीन की रजिस्ट्री कराते है तथा उसी रजिस्ट्री के आधार पर होम फर्स्ट, पिरामल, गृह शक्ति हाउसिंग, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेस, किप्स हाउसिंग फाइनेंस आदि में होम लोन अप्लाई कराते है। हाउसिंग लोन कम्पनियों तथा बैंकों के सर्वेयर व कर्मचारियों से मिलकर लोन पास करा लेते है तथा प्राप्त रूपयों को आपस में बांट लेते है। प्राप्त रूपयों से ही लोन की कुछ किश्ते भरते है ताकि कम्पनियों को शक न हो और नये फर्जी लोन आसानी से करा सके। कुछ समय बाद किश्त देना बंद करके गायब हो जाते है। अब तक करीब 25–30 फर्जी तरीके से होम लोन करा चुके है। जिसमें होम फर्स्ट हाउसिंग से लगभग 18 फाइले, पिरामल फाइनेंस से लगभग 10, गृह शक्ति व किप्स हाउसिंग फाइनेंस से लगभग 05 फाइले करा चुके है। अब तक लगभग 05 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी कर चुके है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना विभूतिखंड, जनपद लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 409/2024 धारा 318(4)/319(2)/336(2)/338/340(2)/3(5) बीएनएस में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

मो0 आरिफ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

1– मु0अ0सं0– 788/17 धारा– 467,468,471,406,420 भादवि थाना हजरतगंज जनपद लखनऊ।

मो0 वाशिल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

1– मु0अ0सं0– 67/15 धारा– 419/420/467/468/471 भादवि थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ।